रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022025-260955
CG-DL-E-12022025-260955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2025/माघ 23, 1946
No. 727] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2025/MAGHA 23, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2025

का.आ. 731(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, पंजाब (पैन: AAAJR1281N) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 की सं.16) के तहत गठित एक प्राधिकरण को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 16) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 16/2025/फा. सं. 300195/31/2024-आईटीए-I]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव